मैनुअल – 17

अन्य उपयोगी सूचनायें आदि

(Other important information,s)

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड,

जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की

अन्य उपयोगी सूचनायें आदि

(Other important information,s)

उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय विकास की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1993–94 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चाय विकास परियोजना कुमाऊँ व गढ़वाल मण्डल में मण्डलीय विकास निगमों के माध्यम से प्रारम्भ की गयी। अलग उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात चाय विकास कार्यक्रम को गति देने हेतु राज्य सरकार द्वारा 11 फरवरी, 2004 को उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड का गठन किया गया। उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा वर्तमान में उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में (अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़, चमोली, रूदप्रयाग, पौड़ी, टिहरी) चाय विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 में (माह मार्च–2026 तक) बोर्ड द्वारा कुल 1591.91 हैक्टेयर क्षेत्रफल में चाय बागान विकसित किये गये हैं। जिसमें से (बोर्ड के अन्तर्गत–751.01 है. , एस0सी0पी0 के अन्तर्गत–234.43 है., मनरेगा योजना के अन्तर्गत–394.27 है.) क्षेत्रफल में विकसित चाय बागानों का रखरखाव किया जा रहा है। तथा शेष 212.20 हैक्टेयर विकसित चाय बागान लीज अवधि पूर्ण होने एवं भू स्वामियों की मॉगानुसार उन्हें स्वयं संचालन हेतु हस्तान्तरित किये जा चुके हैं। बोर्ड द्वारा वर्तमान में कुल 30.00 लाख पौध की कटिंग व बीज नर्सरियॉ अनुरक्षित की जा रही हैं। जिनसे आगामी वर्षो में न्यू प्लान्टेशन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। चाय विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु बोर्ड में 32 नियमित कार्मिक एवं 43 कार्मिक अनुबन्ध पर कार्य नियोजित किये गये है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न बागानों में 3,834 कास्तकार तथा 2950 दैनिक श्रमिक कार्यरत है जिसमें 60–70 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार प्राप्त है। बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के विकास खण्डों में क्लस्टर के रूप में लगभग 295 ग्राम पंचायतों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा अनुमानित प्रतिवर्ष 9.00 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किये जा रहे है।

जैविक चाय की खेती :–उत्तराखण्ड शासन द्वारा देश–विदेश में जैविक चाय की मॉग को दृष्टिगत रखते हुए जैविक चाय की खेती को जितना सम्भव हो सके प्रोत्साहन दिये जाने का निर्णय लिया गया है इस क्रम में चाय बागान नौटी (चमोली), चाय बागान घोड़ाखाल (नैनीताल) एवं चाय बागान चम्पावत (चम्पावत) को कुल 560 हैक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक चाय की खेती की जा रही है। वर्तमान में उक्त चाय

बागानों से जैविक चाय की हरी पत्तियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिनसे जैविक चाय तैयार की जा रही हैं।

चाय फैक्ट्रियों की स्थापना :–(1) बोर्ड द्वारा जैविक चाय पत्तियों की प्रोसेसिंग हेतु चाय बागान घोड़ाखाल (नैनीताल), चम्पावत (चम्पावत) एवं नौटी (चमोली) क्षेत्र में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्वयं की छोटी चाय फैक्ट्रियाँ स्थापित की जा चुकी है, जिनमें उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

(2) बोर्ड द्वारा अजैविक चाय बागानों से प्राप्त हरी पत्तियों की प्रोसेसिंग हेतु एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत हरी नगरी, विकास खण्ड, गरूड़ (बागेश्वर) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा स्वयं की प्रोसेसिंग फैक्ट्री स्थापित की गयी है जिसकी प्रतिवर्ष 75,000 किलोग्राम चाय तैयार करने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त चाय बागान कौसानी के अन्तर्गत पिंगलकोट में निजी क्षेत्र की चाय फैक्ट्री को भी बोर्ड द्वारा संचालित कर तैयार चाय का उत्पादन किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा जनपद अल्मोड़ा के गरूड़ाबॉज क्षेत्र में एक नयी चाय फैक्ट्री स्थापित की जा रही है जिसका निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में माह मार्च–2026 तक कुल 6,47,243.00 कि0ग्रा0 चाय की हरी पत्तियों का उत्पादन कर बोर्ड की उपरोक्त सभी चाय फैक्ट्रियों में कुल 1,43,976.30 किलोग्राम चाय तैयार कर स्थानीय बाजार एवं कोलकता ऑक्शन हाऊस के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना :– बोर्ड द्वारा वर्तमान में एक आधुनिकतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना भवाली (नैनीताल) में की गयी है अभी तक इस प्रयोगशाला के माध्यम से 9000 हैक्टेयर भूमि का मृदा परीक्षण कर 2500 हैक्टेयर भूमि का चयन किया जा चुका है यह भूमि 60 प्रतिशत निजी कृषकों की एवं शेष वन पंचायत/ग्राम सभाओं एवं विभागों की है। प्रयोगशाला द्वारा बोर्ड द्वारा चयनित भूमि का मृदा परीक्षण करने के अतिरिक्त अन्य विभागों व संस्थाओं तथा स्थानीय कास्तकारों द्वारा मृदा परीक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी मिट्टी का भी मृदा परीक्षण किया जाता है। बोर्ड की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में पंजीकृत किया गया है।

टी टूरिज्मः– राज्य में पयर्टन को बढ़ावा देने हेतु जिला प्रशासन नैनीताल के निर्देशन/सहयोग से चाय बागान घोड़ाखाल में चाय बागान पर्यटन विकास स्वायत्तत सहाकारिता समिति गठित कर चाय बागान में भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों से रू0 40 प्रति पर्यटक शुल्क प्राप्त कर उन्हें बागान, चाय फैक्ट्री का भ्रमण करवाने के साथ–साथ चाय उत्पादन के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उक्त संस्था के माध्यम से ही बागान परिसर में टी कैफे का निर्माण कर उक्त कैफे का संचालन निर्धारित वार्षिक किराये पर निजी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। बागान भ्रमण पर आने वाले पयर्टक भ्रमण के दौरान जलपान करने के साथ–साथ बोर्ड द्वारा निर्मित चाय का स्वाद प्राप्त कर रहे है। उक्त के अतिरिक्त जनपद बागेश्वर में टी टूरिज्म का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। कौसानी चाय बागान के अन्तर्गत जिला प्रशासन बागेश्वर एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से पयर्टकों के बागान भ्रमण हेतु

ट्रैकिंग रूट, पथ प्रकाश व्यवस्था, विश्राम स्थल, जलपान गृह, सुलभ शौचालय व पार्किंग आदि कार्यो हेतु कार्य प्रारम्भ हो चुका है। चाय बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों से रू. 25.00 प्रति पर्यटक शुल्क प्राप्त कर उन्हें बागान/फैक्ट्री भ्रमण के साथ–साथ उचित सुविधाऐं उपलब्ध करायी जाती हैं। जनपद चम्पावत में स्थापित चाय बागानों के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा जिला प्रशासन तथा अन्य जनपदों में भी टी टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु जिला प्रशासन एंव पर्यटन विभाग के सहयोग से बागानों में टी हट, टी कैफै, व्यू पॉइन्ट, सैल्फी पॉइन्ट, फूट पाथ आदि का निर्माण किया गया है। है। चाय बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों से रू. 25.00 प्रति पर्यटक शुल्क प्राप्त कर उन्हें बागान/फैक्ट्री भ्रमण के साथ–साथ उचित सुविधाऐं उपलब्ध करायी जा रही हैं। इसी प्रकार बोर्ड द्वारा अन्य जनपदों में स्थापित चाय बागानों के अन्तर्गत जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से टी टूरिज्म को बढावा दिया जाना प्रस्तावित है।

<u>रोजगार सृजनः–</u> बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व संचालित उप–परियोजनाओं, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान व महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 6.40 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन किया जा रहा है, जिसमें 70–80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिल रहा है। चाय विकास योजना से जहाँ एक ओर कास्तकारों की निष्प्रोज्य पड़ी भूमि का सदुपयोग कर कास्तकारों की आर्थिक स्थिति/रहन–सहन में परिर्वतन हुआ है, वहीं दूसरी ओर नवयुवकों का पलायन भी रूका है।

- उपरोक्त के अतिरिक्त बोर्ड से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समयावधि में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक अवकाश दिवसों को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है।

- विधान सभा में पूछे गये प्रश्न और उनके प्रतिउत्तर किसी भी कार्यालय दिवस में पत्रावलियों का अवलोकन कर प्राप्त किये जा सकते हैं तथा अभिलेखो के स्वःप्रकटन हेतु नामित नोडल अधिकारी, अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम, मो0न0 आदि विवरण मैनुअल –16 में उपलब्ध है।

- माननीय उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा समय–समय पर आयोजित आर0टी0आई के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बोर्ड के नोडल अधिकारी, अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है।

- उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के अन्तर्गत शिकायत निवारण तंत्र का गठन किया गया है जिसका कार्यालय ज्ञाप/विवरण मैनुअल संख्या–5 में उपलब्ध है।

————